फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – SARB जवाहर नगर, ज़यपुर जिला जयपुर
–प्रार्थी / सिक्योर कैडिटर

बनाम

1. मैसर्स ईनाया मार्बल एण्ड ग्रेनाईटस प्रो. श्रीमती तरन्नुम खान पत्नि श्री मोहम्मद असीम खान, प्लॉट नं. 1574 व 1574 / 1, ग्राम पसुन्द, राष्ट्रीय राजमार्ग– 8, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.)
2. श्रीमती तरन्नुम खान पत्नि श्री मोहम्मद असीम खान मार्फत प्रो. मैसर्स ईनाया मार्बल एण्ड ग्रेनाईटस, राजा कॉलोनी, पुराना बस स्टैण्ड, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.) **–ऋणी**
3. श्री मोहम्मद असीम खान पुत्र श्री मोहम्मद नबी खान, राजा कॉलोनी, पुराना बस स्टैण्ड, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.)
–जमानती

–अप्रार्थी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 53 / 2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.12.2021 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर ने दिनांक: 29.10.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। बैंक ने मैसर्स ईनाया मार्बल एण्ड ग्रेनाईटस को दिनांक 12.06.2014 को कुल रूपये 1700000 / – अक्षरे सतरह लाख मात्र का ऋण स्वीकृति किया था इस हेतु ऋणी / जमानती ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 12.06.2014 को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभुति करार के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैं– (1) आराजी नं. 1574, ग्राम पसुन्द, राष्ट्रीय राजमार्ग– 8, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.) स्थित निर्मित भवन (2) उक्त खाते में दृष्टिबंधक चल सम्पत्ति प्लांट, स्टॉक व मशीनरी है जो आराजी नं. 1574, ग्राम पसुन्द, राष्ट्रीय राजमार्ग– 8, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.) स्थित हैं हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके परिसम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यक / दृष्टिबंधक किया हैं। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चुक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय हैं। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा दिनांक 29.04.2017 को नियमानुसार अनर्जक परिसम्पति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 30.01.2020 को मांग नोटिस वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि रूपये	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

18,17,573/– अक्षरे अठारह लाख सतरह हजार पॉच सौ तिहतर रूपये मात्र तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। बैंक को दिनांक 30.01.2020 को रूपये 18,17,573/– अक्षरे अठारह लाख सतरह हजार पॉच सौ तिहतर रूपये मात्र तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी/जमानती से लेना हैं। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को गिरवीकृत अचल सम्पत्ति (1) आराजी नं. 1574, ग्राम पसुन्द, राष्ट्रीय राजमार्ग– 8, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.) स्थित निर्मित भवन (2) उक्त खाते में दृष्टिबंधक चल सम्पत्ति प्लांट, स्टॉक व मशीनरी है जो आराजी नं. 1574, ग्राम पसुन्द, राष्ट्रीय राजमार्ग– 8, तहसील व जिला राजसमन्द(राज.) स्थित हैं, का कब्जा लेकर बिक्री करनी हैं। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभुत आस्ति को अपने कब्जे या नियत्रंण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है। गिरवीकृत सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार मे है, जिसका विवरण निम्न है – (1) आराजी नं. 1574, ग्राम पसुन्द, राष्ट्रीय राजमार्ग– 8, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) स्थित निर्मित भवन (2) उक्त खाते में दृष्टिबंधक चल सम्पत्ति प्लांट, स्टॉक व मशीनरी है जो आराजी नं. 1574, ग्राम पसुन्द, राष्ट्रीय राजमार्ग– 8, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) स्थित हैं उपरोक्त सम्पत्तियों पर उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 30.01.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं अखबार में दिनांकः 23.06.2020 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरणं और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर द्वारा मैसर्स ईनाया मार्बल एण्ड ग्रेनाईटस को दिनांक 12.06.2014 को कुल रूपये 1700000/– अक्षरे सतरह लाख मात्र का ऋण स्वीकृति किया था तथा बैंक को दिनांक 30.01.2020 को रूपये 18,17,573/– अक्षरे अठारह लाख सतरह हजार पॉच सौ तिहतर रूपये मात्र तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी/जमानती से लेना हैं। ऋणी/जमानतदार ने गिरवीकृत सम्पत्ति, जिसका विवरण निम्न है – (1) आराजी नं. 1574, ग्राम पसुन्द, राष्ट्रीय राजमार्ग – 8,तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) स्थित निर्मित भवन (2) उक्त खाते में दृष्टिबंधक चल सम्पत्ति प्लांट, स्टॉक व मशीनरी है जो

आराजी नं. 1574, ग्राम पसुन्द, राष्ट्रीय राजमार्ग – 8, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) स्थित हैं पर प्रतिभूति हित सृजित किया है।

उपरोक्त परिसम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त परिसम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – SARB जवाहर नगर, जयपुर जिला जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)